आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3

22/5

न्यायालय, समाहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण, बेतिया

आदेश

वाद संख्या–सी0आर0एम0–24/12–13

अरमानी खान

बनाम

बिहार सरकार

यह अपील वाद अनुज्ञापन पदाधिकारी–सह–अनुमंडल पदाधिकारी, बगहा के आदेश दिनांक 28.07.2012 के विरूद्ध अपीलकर्ता अरमानी खाँ पिता–स्व0 इब्राहिम खाँ सा0–पवरिया टोला वार्ड नं0–27 नगर थाना बगहा पश्चिम चम्पारण द्वारा दायर किया गया है। निम्न न्यायालय के अभिलेख की मांग की गयी।

निम्न न्यायालय का अभिलेख प्राप्त हुआ है। अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अपीलकर्ता के विरूद्ध मो0 अलीशेर एवं अन्य ग्रामीण जनता वार्ड नं0–27 थाना बगहा के द्वारा प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को दिये गये आवेदन पत्र के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, बगहा द्वारा वर्णित आरोप के संबंध में विक्रेता के अनुज्ञप्ति संख्या–31/07 को दिनांक 28.07.2011 को रदद् कर दिया गया।

इन पर निम्नांकित आरोप का उल्लेख किया गया है :–

i. वी0पी0एल0 उपभोक्ताओं को खाद्यान्न की आपूर्ति निर्धारित मात्रा से 03कि0ग्रा0 कम की जाती है।

ii. अन्त्योदय के उपभोक्ताओं को निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। लेकिन निर्धारित दर से नौ रूपयें अधिक लिया जाता है।

iii. किरासन तेल के उपभोक्ताओं से प्रत्येक माह ढाई लि0 के विरूद्ध 36.00रूपयें लिया जाता है तथा उपभोक्ताओं को कैश `ममो नही दिया जाता है। आदेश में उल्लेख किया गया है कि विक्रेता द्वारा उपभोक्ताओं को खाद्यान्न एवं किरासन तेल उपलब्ध कराने में अनियमितता बरती गयी है जो अनुज्ञप्ति के शर्तो का उल्लधंन किया गय है।

उपरोक्त आरोप के संबंध में विक्रेता से स्पष्टीकरण की मांग

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3
	अनुज्ञापन पदाधिकारी–सह–अनुमंडल पदाधिकारी बगहा से की गयी। विक्रेता द्वारा दिनांक 16.05.2011 को अपना स्पष्टीकरण तो समर्पित किया गया लेकिन स्पष्टीकरण के साथ साक्ष्य नही दिया गया। उपरोक्त आरोप सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश कंडिका 7(i) (b) 7(i)(e) 7(ii) एवं 7(iv) तथा सरकार के अपर सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के ज्ञापांक 5738/खाद्य, दिनांक 23.06.2011 में सार्वजनिक जनवितरण प्रणाली (नियंत्रण) संशोधित आदेश 2011 में निहित शक्ति के आलोक में विक्रेता के अनुज्ञप्ति संख्या–31/07 को तत्कालिक प्रभाव से अनुज्ञापन पदाधिकारी–सह–अनुमंडल पदाधिकारी, बगहा द्वारा रदद् कर दिया गया। अनुज्ञापन पदाधिकारी–सह–अनुमंडल पदाधिकारी, बगहा के उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलकर्ता द्वारा अपील वाद किया गया। अपील के आधार पर वाद संख्या–सी0आर0एम0–56/11–12 अरमानी खान बनाम सरकार संधारित किया गया। आरोप के संबधं में प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा से जांच प्रतिवेदन की मांग की गयी। प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि प्रशाखा बेतिया ने अपने पत्रांक 524/विधि, दिनांक 30.03.2012 द्वारा अपीलकर्ता से संबंधित भण्डार पंजी वितरण पंजी एवं अपीलकर्ता के शपथ पत्र के अवलोकन के पश्चात प्रतिवेदित किया है कि अपीलकर्ता द्वारा अपने शपथ पत्र में अपने उपर लगाये गये आरोप गलत बताया गया है। उनका कहना है कि जिस मात्रा में वे खाद्यान्न का उठाव करते है उसी मात्रा में वितरण भी करते है, तिवरण का सत्यापन वार्ड सदस्य द्वारा किया जाता है। अपीलकर्ता द्वारा कहा गया है कि वे प्रति उपभोक्ता से गेहूँ 14कि0ग्र0 एवं चावल 21कि0ग्रा0 कुल–35कि0ग्रा0 पर मात्र 91.00रूपयें लेते है तथा वितरण वार्ड पार्षद के निगरानी में किया जाता है। स्टाक पंजी में मात्रा विक्रय संधारित है। उपभोक्ताओं का निशान/हस्ताक्षर अंकित है। 2 1/2 लिटर किरासन तेल के बिकी पर 36रू0 लेते है जो निर्धारित दर से 25 पैसा अधिक है। अपीलकर्ता का कहना है कि कैश ममो के अधार पर वितरण करने की पद्धति नही है बल्कि कूपन के आधार पर वितरण की जाती है। प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर वाद को अनुज्ञापन पदाधिकारी–सह–अनुमंडल पदाधिकारी, बगहा को इस आदेश	

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3

के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि सभी बिन्दुओं पर सत्यापन कर मुखर आदेश एक माह के अन्दर पारित करें।

वाद रिमाण्ड के पश्चात अनुज्ञापन पदाधिकारी –सह– अनुमंडल पदाधिकारी, बगहा द्वारा अपीलकर्ता से पुनः बिना कारण पृच्छा पुछे अपीलकर्ता द्वारा पूर्व में दिये गये स्पष्टीकरण तथा अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर उल्लेख किया गया है कि जनवितरण प्रणाली विक्रेता अरमानी खाँ वार्ड नं0–27 नगर परिषद् बगहा द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2001 के प्रावधानों का उल्लधंन किया गया है। साथ ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 नं0–196/2001 में पारित आदेश में भी यह उल्लेखित है कि बी0पी0एल0 एवं अन्त्योदय योजना के लाभुको को निर्धारित दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने में विफल होने पर संबंधित जनवितरण प्रणाली की दुकान की अनुज्ञप्ति को रदद् कर दिया जाना है, इस प्रकार तत्कालिन अनुज्ञापन पदाधिकारी–सह–अनुमंडल पदाधिकारी, बगहा के आदेश दिनांक 28.07.2011 के द्वारा रदद् की गयी अनुज्ञप्ति आदेश को यथावत रखने का आदेश दिया गया।

अपीलकर्ता ने इस आदेश के विरूद्ध सीधे माननीय उच्च न्यायालय , पटना में रिट याचिका दायर किया जिसका सी0डब्लू0जे0सी0 नं0–22369/2012 है। इस वाद में दिनांक 10.12.2012 को अपीलकर्ता द्वारा दिये गये अपील आवेदन में विलंब को क्षांत करने तथा वाद का निष्पादन समय सीमा के अन्दर करने का आदेश दिया गया।

उक्त आदेश के आलोक में अपीलकर्ता ने आदेश की प्रति के साथ अपील आवेदन अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में दिया गया। अपील आवेदन को स्वीकृत करते हुए निम्न न्यायालय के अभिलेख की मांग की गयी।

निम्न न्यायालय का अभिलेख प्राप्त हुआ है। उभय पक्ष को सुना गया। अपीलकर्ता के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा पूर्व में दिये गये स्पष्टीकरण को ही दोहराया गया।

उपरोक्त विवेचित तथ्यों के आलोक में स्पष्ट होता है कि अपीलकर्ता को नही सुना गया है न ही उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गयी। यह नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विरूद्ध है। अतः अनुज्ञापन पदाधिकारी–सह–अनुमंडल पदाधिकारी, बगहा के आदेश दिनांक 28.07.

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3
	2012 को रदद् किया जाता है तथा वाद को उन्हें रिमाण्ड करते हुए आदेश दिया जाता है कि अपीलकर्ता को सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर देते हुए मुखर आदेश पारित करें। जिला दण्डाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया 27/5 जिला दण्डाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया 27/5	827/वि0 26/5/14